

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 50/2014 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्रीमति प्रेम कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
2. श्रीमति मोहन कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा
3. श्रीमति रसाल कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा

—वादीगण

—: बनाम :-

1. श्री करणसिंह पिता श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
2. श्री रामसिंह पिता श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
3. मु रतन कुवर बेवा श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
4. श्री भंवर सिंह श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
5. श्री इन्द्रसिंह पिता श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
6. श्री सज्जन कुंवर पिता श्री मदनसिंह राजपुत नि गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
7. मु.तीज कुंवर बेवा श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
8. श्री रामसिंह पिता श्री लालसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
9. श्री उंकार सिंह पिता श्री लालसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा त. बड़ीसादड़ी
10. श्री नवलसिंह पिता श्री लक्ष्मण राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
11. श्री भुवानीसिंह पिता श्री रतनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
12. श्री किशनसिंह पिता श्री कालुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
13. श्री देवीसिंह पिता श्री कालुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
14. श्री रोडसिंह पिता श्री उम्मेदसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा पारलिया पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1— करणसिंह रामसिंह प्रेम कुंवर मोहन कुंवर रसाल कुंवर श्याम कुंवर पिता भेरुसिंह राजपुत सा. गोपाल जी का खेडा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा	लगान
473/1	0.60	11.40
468/1	0.07	1.33
2	0.67	12.73

- 2— भंवरसिंह ईन्द्रसिंह सज्जन कुंवर पिता मदनसिंह मु. तीज कंवर पत्नी मदनसिंह 1/11 भगवतसिंह पर्वतसिंह कचनकुंवर पिता रामसिंह गटुकंवर पत्नी रामसिंह ना.बा. आयुष्मान स.प. पिता महेन्दसिंह खुमाणसिंह गुलाब कुंवर विद्याकुंवर सूरज कंवर पिता उंकारसिंह संतोष कुंवर पत्नी उंकारसिंह भूरसिंह नवलसिंह पिता लक्ष्मणसिंह भुवानीसिंह मोहनसिंह पिता रतनसिंह किशनसिंह देवीसिंह मोहनकुंवर पिता कालुसिंह 8/11 रोडसिंह पिता उमेदासिंह 2/11 राजपुत सा गोपाल जी का खेडा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा	लगान
467	1.32	25.08
468/2	1.47	27.93
469	0.91	17.29
470	0.80	15.20
471	2.36	44.84
473/2	0.55	10.45

6 7.41 140.79

PTO

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी



3- बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार शामिल रहेगा।


आ. नं.	रकबा	लगान
472	0.03	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

क्रमांक : राजस्व/2025/209

दिनांक : 27/11/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।




सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 50/2014 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्रीमति प्रेम कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
2. श्रीमति मोहन कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा
3. श्रीमति रसाल कुंवर पिता श्री भेरुसिंह राजपुत नि. गोपालसिंहजी का खेडा

-वादीगण

-: बनाम :-

1. श्री करणसिंह पिता श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
2. श्री रामसिंह पिता श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
3. मु रतन कुंवर बेवा श्री भेरुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
4. श्री भंवर सिंह श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
5. श्री इन्द्रसिंह पिता श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
6. श्री सज्जन कुंवर पिता श्री मदनसिंह राजपुत नि गोपालसिंहजी का खेडा त. बड़ीसादड़ी
7. मु.तीज कुंवर बेवा श्री मदनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंहजी का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
8. श्री रामसिंह पिता श्री लालसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
9. श्री उंकार सिंह पिता श्री लालसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा त. बड़ीसादड़ी
10. श्री नवलसिंह पिता श्री लक्ष्मण राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
11. श्री भुवानीसिंह पिता श्री रतनसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
12. श्री किशनसिंह पिता श्री कालुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
13. श्री देवीसिंह पिता श्री कालुसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
14. श्री रोडसिंह पिता श्री उम्मेदसिंह राजपुत निवासी गोपालसिंह का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा पारलिया पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- करणसिंह रामसिंह प्रेम कुंवर मोहन कुंवर रसाल कुंवर श्याम कुंवर पिता भेरुसिंह राजपूत सा. गोपाल जी का खेड़ा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा	लगान
473/1	0.60	11.40
468/1	0.07	1..33
2	0.67	12.73

- 2- भंवरसिंह ईन्दासिंह सज्जन कुंवर पिता मदनसिंह मु. तीज कंवर पत्नी मदनसिंह 1/11 भगवतसिंह पर्वतसिंह कचनकुंवर पिता रामसिंह गटुकंवर पत्नी रामसिंह ना.बा. आयुष्मान स.प. पिता महेन्दसिंह खुमाणसिंह गुलाब कुंवर विद्याकुंवर सूरज कंवर पिता उंकारसिंह संतोष कुंवर पत्नी उंकारसिंह भूरसिंह नवलसिंह पिता लक्ष्मणसिंह भुवानीसिंह मोहनसिंह पिता रतनसिंह किशनसिंह देवीसिंह मोहनकुंवर पिता कालुसिंह 8/11 रोडसिंह पिता उमेदासिंह 2/11 राजपूत सा गोपाल जी का खेड़ा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा	लगान
467	1.32	25.08
468/2	1.47	27.93
469	0.91	17.29
470	0.80	15.20
471	2.36	44.84
473/2	0.55	10.45

6

7.41

140.79

PTO

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3- बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार शामिल रहेगा।


आ. नं.	रकबा	लगान
472	0.03	—

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी